पोखर से गेर मुमकिन चारागाह व खसरा नम्बर 79 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा की गैर मुमकिन पोखर से बारानी अव्वल दर्ज की गई। नामान्तरकरण संख्या 24 दिनांक 06.11.1975 से भूमि खसरा नम्बर 79 में से 1 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 25 में से 1 बीघा 10 बिस्वा कुल दो रकबा कुल रकबा 3 बीघा का आवंटन आदेश दिनांक 01.09.1975 के चिरंजी पुत्र भीखा मीरासी निवासी दुधेरी के नाम गैर खातेदारी स्वीकार हुआ। नामान्तकरण संख्या 41 दिनांक 15.06.1976 के खतरा नम्बर 79/299 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा आवंटन दिनांक 30.04.1973 के गोविन्दा उर्फ गुमानसिंह पुत्र सरदार जानि जाट निवाले मूडिया के नाम गैर खातेदारी स्वीकार हुई।

नामान्तकरण संख्या 121 एवं नामान्तकरण संख्या 76 से उक्त आवंटियों को खातेदारी अधिकार दिए गए थे। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड संवत 2002 के अनुसार गैर मुमकिन पोखर दर्ज रिकार्ड थी, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों में शामिल होने तथा अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में प्रतिबन्धित श्रेणी की होने के कारण उक्त भूमियों का किया गया आंवटन तथा उसके आधार पर समय समय पर किये गये परिवर्तन सभी प्रारम्भ से शुन्य होने से काबिल खारिज है।

उक्त भूमि जल भराव एवं बहाव से संबंधित होने के कारण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा जारी निर्णय के परिप्रेक्ष्य में भी किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दी जा सकती तथा उक्त भूमियों का कृषि या अन्य उपयोग नहीं किया जा सकता है, तथा किसी प्रकार से विक्रय रहन दान आदि नहीं किया जा सकता है। आवंटियों द्वारा अपने नाम कराया गया उक्त आवंटन विधि विरुद्ध होने से काबिल खारीज है।

विवादित भूमि गैर मुमकिन पोखर होने के कारण जल भराव के कान आने वाली भूमि थी जिसे आवंटन करना विधिविरूद्ध है, तथा उक्त भूमि गांव के पशुओं तथा जंगली जानवरों के पीने के पानी के काम आने वाली सार्वजनिक हितों में उपयोग उपभोग की भूमि है। अतः रैफरेंस प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम मूंडिया के भूमि साबिक खसरा नम्बर 14 एवं 25 के नये बने खसरा नम्बर 79 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 25 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि जो कि संवत् 2002 एवं 2020 में किस्म गैर मुमकिन पोखर दर्ज रिकार्ड थी, को उसके बाद समस्त प्रकार के (अन्तरण) किस्म परिवर्तन, आवंटन, विक्रय एवं दान आदि को खारिज किया जाकर गैर मुमकिन पोखर के नाम राजकीय खातेदारी में दर्ज करने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, तहसीलदार कठूमर द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस, जमाबंदी संवत् 2002 व 2020 तथा राजकीय अभिभाषक के तर्कों का ध्यानपूर्वक मनन व परिशीलन किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस तामील होने के बावजूद उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, जिससे यह स्पष्ट है कि उन्हें इस प्रकरण में कुछ नहीं कहना है और तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत तथ्य निर्विवाद हैं। राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि ग्राम मूंडिया, तहसील कठूमर के साबिक खसरा नं. 14 (हाल खसरा नं. 25) व साबिक खसरा नं. 45 (हाल खसरा नं. 79) मूल रूप से संवत् 2002 व 2020 के रिकॉर्ड में "गैर मुमकिन पोखर" जल भराव क्षेत्र के रूप में राजकीय भूमि दर्ज थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार, नदी, तालाब, पोखर या झीलों के पेटे की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

किए जा सकते हैं। जल भराव की भूमि का किस्म परिवर्तन कर उसे कृषि, चरागाह या अन्य प्रयोजन हेतु आवंटित करना पूर्णतः गैर–कानूनी और अधिकारिता विहीन कृत्य है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार (2004 RLR 331) तथा सुओ मोटो बनाम राज्य सरकार (2012) के प्रकरणों में स्पष्ट व कठोर दिशा–निर्देश पारित किए हैं कि तालाब, पोखर, नदी, नाले व उनके बहाव/भराव क्षेत्र की भूमियों का न तो किस्म परिवर्तन किया जा सकता है और न ही उनका आवंटन किसी व्यक्ति या संस्था को किया जा सकता है। न्यायालय के आदेशानुसार ऐसी भूमियों को उनकी मूल स्थिति में बहाल किया जाना अनिवार्य है। प्रस्तुत प्रकरण में भूमि की किस्म "गैर मुमकिन पोखर" से बदलकर नामान्तरकरण संख्या 9, 10, 24, 41, 121 व 76 आदि के माध्यम से गैर खातेदारी व खातेदारी अधिकार देना तथा आवंटन करना प्रारम्भ से ही शून्य व विधि विरुद्ध है। गैर–कानूनी आवंटन के आधार पर किए गए क्रय–विक्रय, दान, रहन या बैंक से लिया गया ऋण भी स्वतः ही शून्य हो जाते हैं। अतः प्रार्थी, तहसीलदार कठूमर द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व स्थापित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में, प्रार्थी तहसीलदार (भू.अ.) कठूमर द्वारा प्रस्तुत रैफरेंस प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम मूंडिया, तहसील कठूमर, जिला अलवर के हाल खसरा नम्बर 25 (साबिक 14) रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा एवं हाल खसरा नम्बर 79 (साबिक 45) रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा को अप्रार्थीगण के नाम से कलमजन/खारिज कर, पुनः मूल किस्म "गैर मुमकिन पोखर" में राजकीय खातेदारी (बिलानाम सरकार) में दर्ज दर्ज करने के अभिमत/अभिशंषा सहित यह पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर (राजस्थान) को अंतिम आदेश एवं पुष्टिकरण हेतु सादर प्रेषित की जावे।

निर्णय दिनांक 01.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर, (राज0)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

रेफरेन्स संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
17/05/2018	2018/00596	15.11.2018	01.04.2026

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार (भू0अ0) कठूमर, जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. चिरंजी पुत्र भीखा जाति मीरासी नेवासी दुधेरी तहसील कठूमर।
   1/1— विशम्भर पुत्र चिरंजी जाति मीरासी नेवासी दुधेरी तहसील कठूमर।
   1/2— रज्जन पुत्र चिरंजी जाति मीरासी नेवासी दुधेरी तहसील कठूमर।
2. सुशीला पत्नी राजेश जाति जाट निवासी मूडिया तहसील कठूमर।
3. प्रधानाध्यापक रा० उ० प्रा० विधालय मूडिया पंचायत समिति कठूमर।
4. शकुंतला पत्नी देवीसिंह जाति जाट निवासी मूडिया तहसील कठूमर।
5. माया देवी पत्नी पूर्णसिह जति जाट निवासी मूडिया तहसील कठूमर।
6. वीरसिंह पुत्र मनोहरी जाति जाट निवासी मूंडीया तहसील कठूमर।
7. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक कठूमर।

—अप्रार्थीगण

रैफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82
राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—
1. श्री राजकीय अभिभाषक — पैरोकार सरकार

—:: निर्णय ::— दिनांक :— 01.04.2026

तहसीलदार कठूमर ने यह रेफरेन्स प्रकरण साबिक खसरा नंबर 14 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन पोखर एवं खसरा नंबर 45 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन पोखर, हाल खसरा नंबर 25 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन चारागाह व खसरा नंबर 79 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन पोखर वाके ग्राम मूंडिया तहसील कठूमर जिला अलवर की आराजी को राजकीय खातेदारी में दर्ज करने हेतु पेश किया। रेफरेन्स प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अप्रार्थीगण/अप्रार्थीगण अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थी की बहस सुनी।

प्रार्थी तहसीलदार कठूमर की ओर से राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र रेफरेंस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मुताबिक जमाबन्दी संवत 2002 एवं संवत् 2020 ग्राम मूंडिया तहसील कठूमर के साबिक खसरा नं0 14 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन पोखर एवं खसरा नम्बर 45 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन पोखर राजकीय खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी। भू—प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नंबर 14 के हाल खसरा नम्बर 25 एवं साबिक खसरा नम्बर 45 के हाल खसरा नंबर 79 बने हैं, जो कि सेटलमेन्ट विधान की खतोनी बन्दोबस्त संवत् 2028 के अनुसार खसरा नंबर 79 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन पोखर एवं खसरा नम्बर 25 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन चारागाह राजकीय खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी।

जरिये नामान्तरकरण संख्या 9 दिनांक 01.09.1975 ए नामान्तरकरण संख्या 10 दिनांक 06.11.1975 से खसरा नम्बर 25 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा की किस्म गैर मुमकिन

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)